UPMZ010064322026
न्यायालय सेशन जज, मुजफ्फरनगर।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2497 सन् 2026

सलौनी पुत्री ब्रिजा उर्फ ब्रजपाल पत्नी इकास मूल निवासी ग्राम छछरौली, थाना भोपा, हाल निवासी मौ. सराय तुलसीराम कस्बा व थाना जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर।

....प्रार्थी।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)।

अंतर्गत धारा– 190, 191(2), 191(3), 115(2), 109(1), 121(1), 221, 132, 262, 263डी बी.एन.एस.
थाना–भोपा, जिला मुजफ्फरनगर।
मु.अ.सं.– 66/2026

<u>10.06.2026</u>

प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदिका/अभियुक्ता उपरोक्त की ओर से थाना भोपा के अपराध संख्या–66 सन 2026, धारा –190, 191(2), 191(3), 115(2), 109(1), 121(1), 221, 132, 262, 263डी भारतीय न्याय संहिता के मामले में इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीया को उपरोक्त अभियोग में झूठा फंसाया गया है, इसलिये प्रार्थीया धारा 482 बी.एन.एस.एस. में उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रही है। प्रार्थीया का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीया ने पूर्व में कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद अथवा किसी अन्य सत्र न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया और न ही निरस्त हुआ है तथा न ही विचाराधीन है। प्रार्थीया भारत वर्ष देश की मूल निवासी है तथा प्रार्थीया का परिवार तथा पैत्रक सम्पत्ति भारत वर्ष देश में स्थित है, इसलिये प्रार्थीया द्वारा भारत वर्ष देश छोड़कर बाहर के देश में फरार होने का कोई अंदेशा नहीं है। प्रार्थीया कभी भी किसी संज्ञेय या असंज्ञेय अपराध में जेल नहीं गयी है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपराध के अजमानतीय होने के कारण प्रार्थीया को जेल भी भेजा जा सकता है, इसलिये प्रार्थीया श्रीमानजी के समक्ष अपना यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रही है। प्रार्थीया झूठे मुकदमे में जेल जाना नहीं चाहती है जेल में जाने से प्रार्थीया व

उनके परिवार के मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा को चोट पहुंचेगी और प्रार्थीगण का भविष्य में भी अंधकारमय होने की पूरी सम्भावना है। प्रार्थीया का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही प्रार्थीया पूर्व सजायाफता है। प्रार्थीया व उसका परिवार समाज में सम्मानित व्यक्ति है। पुलिस थाना भोपा प्रार्थीया को गिरफतार करके जेल भेज सकती है। पुलिस द्वारा कई बार घर पर दबिश दी गई है। प्रार्थीया धारा 482 बी.एन.एस के प्राविधान के अनुसार सभी शर्तों को पूर्ण करते है। प्रार्थीया निर्दोष है उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थीया को गलत व असत्य कथनों व तथ्यों के आधार पर सिर्फ नाजायज दबाव बनाने व नाजायज धन ऐंठने के लिये उपरोक्त अभियोग में कतई झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में असाधारण देरी है जिसका कोई औचित्य नहीं है। अभियोग पक्ष का कथन अस्वाभाविक, अप्राकृतिक फर्जी व मनघडंत है ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई जैसा कि अभियोग पक्ष का कथन है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के असल कथनों व तथ्यों को छिपाते हुए चालाकी से सलाह मशवरे से झूठी कहानी बना कर लिखाई गई है। प्रार्थीया ने न तो पुलिस के साथ कोई बलवा किया और न ही उनके साथ कोई मारपीट की और न ही सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की है, महज एस.आई रनवीर सिंह ने रंजिशन एवं पुलिस में होने का रोब गालिब करते हुए प्रार्थीया को घर में खीचते हुए उसके पेट पर लात मुक्के मारे जिससे उसका गर्भपात हो गया और दिनांक 12.03.2026 को ही अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा मेडिकल रिपोर्ट की प्रति संलग्न है। असल वाका यह है कि उक्त वाद का वादी एस.आई रनवीर सिह प्रार्थीया व उसके परिवार के थाना भोपा की पुलिस चौकी शुक्रताल पर इस घटना से पहले तैनात था और उसकी प्रार्थीया व उसके परिवार के विपक्षी यशपाल उर्फ पेला से दोस्ती थी। उक्त रनवीर सिंह का स्थानान्तरण थाना बुढाना में हो गया और वहां जाकर उसने यशपाल उर्फ पेला के कहने पर सह अभियुक्त राजेश के पुत्र मुनीत, विनेश के साथ चुटकी उर्फ छुटकी और रितिन को सह अभियुक्त राजेश ठेकेदार के गन्ना कोल्हू कारखाने से दिनांक 15.11.2025 को उठाकर उनका तीन दिन तक थाने पर बैठाये रखकर सह अभियुक्त राजेश से एक लाख रूपये की रंगदारी मांगी गयी न देने पर तीन दिन बाद एस. आई. रनवीर ने थाना बुढाना पर मु०अ०सं० 463 सन 2025, बनाम मुनीत आदि 6 नफर लिखकर मुनीत आदि के पैरो में गोली मारकर उनसे झूठी व फर्जी बरामदगी दिखाकर उनको जेल भेज दिया जब कि सह अभियुक्त राजेश ने दिनांक 15.11.2025 को ही 112 नम्बर पर पुलिस को फोन किया था और डी.आई.जी मेरठ एडीजी मेरठ और पुलिस अधीक्षक जनपद मुजफफरनगर व सी०ओ० बुढाना को भी मोबाइल से कॉल की थी जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तब दिनांक 16.11.2025 को पुनः पुलिस मुख्यालय लखनऊ डी.जी.पी साहब व डी.जी.पी. कन्ट्रोल रूम व एडीजी लॉ एंड आर्डर के मोबाइल नं० पर फोन करके सूचना दी. उससे भी सह अभियुक्त के बच्चे

नहीं छूटे थे। उसके बाद सह अभियुक्त राजेश ने दिनांक 17.11.2025 को सुबह 9.18 बजे मोबाइल नं० 9454405118 पर फिर बात की थी जिस पर एस.आई. रनवीर ने चिढ़कर फर्जी व झूठी घटना दिखाकर उक्त मुकदमे में प्रार्थीया व उसके परिवार को झूठा फंसा दिया था जिसके बाद सह अभियुक्त राजेश ने दिनांक 26.02.2026 को न्यायालय सी०जे०एम० साहब मुजफफरनगर के न्यायालय में प्रार्थना पत्र सं० 230/11 सन 2026, बनाम एस.आई. रनवीर सिंह आदि के विरूद्ध धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. का प्रार्थना पत्र सबूत के साथ दाखिल किया था जिसमें दिनांक 12.03.2026 नियत थी और एसआई रनवीर सिंह को उक्त मुकदमे की जानकारी थी जिस पर एसआई रनवीर सिंह ने पुलिसीया रोब दिखाते हुए सह अभियुक्त राजेश को न्यायालय से ही उठा लिया था और झूठी व फर्जी घटना दिखाते हुए सह अभियुक्त राजेश के साथ उक्त गन्ना कोल्हू पर सभी बुजुर्ग महिलाएं व मजदूरों के नाम लिखकर तथा वहां से बुजुर्ग ब्रिजा उर्फ ब्रजपाल को उठाकर झूठी घटना बनाते हुए एस.आई रनवीर सिंह ने थाना भोपा पर उक्त मुकदमा झूठा लिखाते हुए सह अभियुक्तगण को जेल भेज दिया है तथा प्रार्थीया को जेल भेजने की फिराक में लगा है। उक्त घटना घनी आबादी के बीच की है जिसमें कोई भी जनता का स्वतन्त्र साक्षी नही दर्शाया गया है। प्रार्थीया के विरूद्ध धारा 109 (1) बी.एन.एस. का कोई अपराध नहीं बनता है, न ही इसकी कोई साक्ष्य है। प्रार्थीया के द्वारा कथित घटना कारित किये जाने का कोई औचित्य है। सह अभियुक्तगण की अग्रिम जमानत दिनांक 30.04.2026 को माननीय न्यायालय से स्वीकार हो चुकी है। प्रार्थीया भी समानता के आधार पर जमानत पाने की अधिकारी है। प्रार्थीया के विरूद्ध कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। प्रार्थीया के विरूद्ध कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। प्रार्थीया मुकदमे के शीघ्र विचारण में अपना पूरा सहयोग करने को तैयार है तथा मुकदमे के विचारण में हर सम्भव सहयोग करेगी। प्रार्थीया द्वारा अग्रिम जमानत के दुरूपयोग की कोई सम्भावना नहीं है। प्रार्थीया अपनी उचित अग्रिम जमानत देने को तैयार है। प्रार्थना है कि तानिर्णय मुकदमा प्रार्थीया की उचित अग्रिम जमानत स्वीकार करने की कृपा करें।

अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक द्वारा जमानत का विरोध किया गया तथा कहा गया कि उनके विरूद्ध गंभीर प्रकृति के आरोप हैं। इस प्रकार अपराध को गंभीर प्रकृति का बताते हुए जमानत निरस्त करने की मांग की गयी।

उभयपक्षों को अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना तथा तलविदा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के संदर्भ में निम्न तथ्य विचारणीय हैं :–

1. अभियोग की प्रकृति एवं गंभीरता,
2. प्रथम सूचना रिपोर्ट की परिस्थिति,

3. अभियुक्त का पूर्ववृत्त, जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि, क्या वह किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पर पहले ही कारावास भुगत चुका है।
4. न्याय से भागने की संभाव्यता, और
5. जहां अभियुक्त को उसे इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुँचाने या अपमानित के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया हो।
6. सामाजिक स्थिति/जांच में सहयोग की प्रवृत्ति।

प्राथमिकी के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादी मुकदमा उपनिरीक्षक रणवीर सिंह द्वारा घटना दिनांकित 12.03.2026 समय 18.50 बजे के संबंध में दिनांक 12.03.2026 को समय 22.10 बजे थाना भोपा पर प्राथमिकी इस आशय की दर्ज करायी गयी कि थाना बुढ़ाना पर वादी श्री विक्की उर्फ विक्रम पुत्र श्री करन सिंह, निवासी कुरथल, थाना बुढ़ाना, जनपद मु0नगर की तहरीर के आधार पर थाना बुढाना पर मु0अ0सं0 437/25, धारा 305, 331 (4) बनाम अज्ञात के विरुद्व पंजीकृत होकर विवेचना मुझ उ0नि0 के सुपुर्द हुई। दौराने विवेचना उक्त अभियोग में अभियुक्तगण सरगम पुत्र ब्रजपाल निवासी छछरौली थाना भोपा मुजफ्फरनगर आदि 07 नफर के नाम प्रकाश में आये है। मुकदमा उपरोक्त में सरगम पुत्र बृजपाल निवासी छछरौली थाना भोपा मुजफ्फरनगर के गैर जमानती वारंट माननीय न्यायालय से दिनांक 29.11.2025 को प्राप्त कर मैं उ0नि0 आज माननीय न्यायालय द्वारा जारी गैर जमानती वारंट की तामील हेतु अन्य कार्य सरकार करता हुआ थाना भोपा पर आया और थाना भोपा पर आमद कराकर रपट नं0 41 दिनांक 12.03.2026 पर रवाना होकर वास्ते तामील वारंट हेतु हस्ब तलब व0उ0नि0 श्री कर्मवीर सिंह व उ0नि0 श्री पिन्टू चौधरी व उ0नि0 श्री लालसिंह व है0कां0 215 रोहित कुमार को साथ लेकर अभि0 के मसकन ग्राम छछरौली पर पहुंचा जहां पर अभियुक्त सरगम व अभियुक्त का बडा भाई पंकज व अन्य परिजन मौजूद मिले तो अभियुक्त सरगम उपरोक्त को माननीय न्यायालय द्वारा जारी गैर जमानती वारंट से अवगत कराकर समय करीब 18.50 बजे हिरासत पुलिस लिया गया तो मौके पर मौजूद अभियुक्त के बडे भाई पंकज व अन्य मौजूद परिजनों ने अभियुक्त सरगम को जबरदस्ती बलपूर्वक छुड़ाकर भगा दिया व मुझ पर व हमराही पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया तो मुझ उ0नि0 द्वारा मौके पर महिला पुलिस व फोर्स भेजने की मांग करते हुये उच्चाधिकारीगण को सूचित कर मुझ उ0नि0 द्वारा हमराही पुलिस पार्टी को कार्य सरकार में बांधा डालने व पुलिस पार्टी पर हमला करने के अपराध में हमला करने वाले पंकज पुत्र ब्रिजा को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो अभि0गण ब्रिजा उर्फ ब्रजपाल पुत्र जयसिंह द्वारा प्रयास किया तो पंकज व सरगम पुत्रगण ब्रिजा उर्फ ब्रजपाल, श्यामवती पत्नी ब्रिजा उर्फ ब्रजपाल व रुचि व सलौनी पुत्रीगण ब्रिजा उर्फ

ब्रजपाल व सिया पत्नी उत्तम व रूबी पत्नी पिन्टू व राजेश पुत्र नेपाल व अन्य पन्द्रह बीस अज्ञात महिला व पुरुष निवासीगण ग्राम छछरौली थाना भोपा जनपद मु0नगर ने एक साथ पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से ईंट पत्थरों से हमला करते हुये हाथापाई करने लगे तथा पुलिस के सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की तथा और लोगों को भी बुलाने लगे। मौके पर पुलिस बल कम था जिस कारण काफी प्रयास के बाद भी इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका पुलिस बल ने बामुश्किल अपनी जान बचाई। अभि0गण द्वारा पुलिस पार्टी के कार्य में एक राय होकर बाधा पहुंचाते हुये जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर हमला किया है।

इस प्रकार अभियोजन कथानक अनुसार मु0अ0सं0 437/25 धारा 305, 331(4) भारतीय न्याय संहिता के अभियुक्त सरगम पुत्र ब्रजपाल को जब पुलिसपार्टी गैर जमानतीय वारंट के आधार पर मौके पर पकड़ने पहुंची तो अभियुक्त के बड़े भाई पंकज व अन्य मौजूद परिजनों ने अभियुक्त सरगम को जबरदस्ती बलपूर्वक छुडाकर भगा दिया तथा सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए पुलिसकर्मचारीगण के साथ मारपीट की एवं पुलिस पार्टी पर हमला करने के अपराध में हमला करने वाले पंकज को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो अभि0गण ब्रिजा उर्फ ब्रजपाल पुत्र जयसिंह, पंकज व सरगम पुत्रगण ब्रिजा उर्फ ब्रजपाल, श्यामवती पत्नी ब्रिजा उर्फ ब्रजपाल व रुचि व सलौनी पुत्रीगण ब्रिजा उर्फ ब्रजपाल व सिया पत्नी उत्तम व रूबी पत्नी पिन्टू व राजेश पुत्र नेपाल व अन्य पन्द्रह बीस अज्ञात महिला व पुरुष निवासीगण ग्राम छछरौली, थाना भोपा, जनपद मु0नगर ने एक साथ पुलिस पार्टी पर जान से मारने कि नियत से ईंट पत्थरों से हमला करते हुये हाथापाई की। घटना में 5 पुलिसकर्मियों को चोटें आना कहा गया है। चुटैल हैड कांस्टेबल रोहित कुमार की चिकित्सीय परीक्षण आख्या के अनुसार उसे निम्नलिखित चोटें आना बताया गया है–

1. Redish abrasion 7 cm x 1 cm over right forearm.
   c/o body pain

चुटैल उपनिरीक्षक रणवीर की चिकित्सीय परीक्षण आख्या के अनुसार उसे निम्नलिखित चोटें आना बताया गया है :–

1. c/o right hand pain over 5th matacarpal area on dorsal aspect adv. xray.
   hand.

चुटैल उपनिरीक्षक कर्मवीर सिंह की चिकित्सीय परीक्षण आख्या के अनुसार उसे निम्नलिखित चोटें आना बताया गया है :–

1. Red abrasion size 12 cm x 2 cm around neck in front and side of neck
   absent posteriorly.
2. Red abrasion size 7 cm x 1 cm over b/L forearm on ventral aspect.
   C/o body pain.

चुटैल उपनिरीक्षक पिन्टू चौधरी की चिकित्सीय परीक्षण आख्या के अनुसार

उसे निम्नलिखित चोटें आना बताया गया है :–

1. T.S. size 3 cm x 3 cm over right hand dorsal aspect adv. xray hand ap/lat.

चुटैल उपनिरीक्षक लाल सिंह की चिकित्सीय परीक्षण आख्या के अनुसार उसे निम्नलिखित चोटें आना बताया गया है :–

1. c/o left shoulder pain adv. xray.

2. C/o left thumb pain adv. xray.

3. C/o body pain

चुटैलों की जिन चोटों के एक्सरे की सलाह दी गयी थी उनके संबंध में तैयार एक्सरे रिपोर्ट के अनुसार चोटों को साधारण प्रकृति की बताया गया है। आवेदिका/अभियुक्ता से किसी प्रकार की कोई बरामदगी होना नहीं कहा गया है। दिनांक 15.11.2025 को इस मामले की घटना से पहले आवेदिका/अभियुक्ता के परिवार के सदस्य व अन्य के विरूद्व अपराध संख्या 463 सन 2025, बनाम मुनीत आदि दर्ज किया जाना कहा गया है। संबंधित थाने की आख्या के अनुसार आवेदिका/अभियुक्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं दर्शाया है है। सह अभियुक्तगण की अग्रिम जमानत स्वीकार हो चुकी है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये जाने का पर्याप्त व युक्ति–युक्त आधार मौजूद है। तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदिका/अभियुक्ता सलौनी पुत्री ब्रिजा उर्फ ब्रजपाल पत्नी इकास को अंतर्गत अपराध संख्या–66 सन 2026 धारा –190, 191(2), 191(3), 115(2), 109(1), 121(1), 221, 132, 262, 263 डी भारतीय न्याय संहिता थाना भोपा, जनपद मुजफफरनगर के मामले में उसके द्वारा अंकन 50,000/–रुपये (पचास हजार रूपये) के दो विश्वसनीय प्रतिभू एवं समान धनराशि का व्यक्तिगत बन्ध पत्र संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के आधार पर प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तो के अंतर्गत अग्रिम जमानत प्रदान की जाती हैः–

1. यह कि आवेदिका/अभियुक्ता विवेचक/न्यायालय द्वारा तलब किये जाने व नियत की गयी तिथियों पर उपस्थित होगी तथा विचारण में सहयोग करेगी।
2. यह कि आवेदिका/अभियुक्ता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा धमकी या वचन नहीं देगी, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके।
3. यह कि आवेदिका/अभियुक्ता न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगी।

4. यह कि आवेदिका/अभियुक्ता बंध पत्र की शर्तों का कठोर पालन करेगी।

(क) ऐसे व्यक्ति इस आशय के अधीन निष्पादित बंध पत्र की शर्तों के अनुसार हाजिर होगी।

(ख) ऐसे व्यक्ति उस अपराध जैसा, जिसको करने का उन पर अभियोग या सन्देह है, कोई अपराध नहीं करेगी।

(ग) ऐसे व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरण नहीं करेगी, धमकी या वचन नहीं देगी या साक्ष्य को नहीं बिगाडेगी।

5. आवेदिका/अभियुक्ता बंध पत्र दाखिल करेगा अभियुक्त विचारण के पूर्ण होने के छह माह के अन्दर यदि उच्चतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किसी अपील या याचिका में न्यायालय द्वारा नोटिस जारी होता है, तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगी।"

6. आवेदिका/अभियुक्ता विवेचना/विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगी।

7. आवेदिका/अभियुक्ता इस आशय का एक बंध पत्र दाखिल करेगा कि, वे विचारण/साक्ष्य के दौरान जब भी कोई साक्षी हाजिर होगा, स्थगन नहीं लेगा। इस शर्त की अवहेलना होने पर संबंधित न्यायालय को यह अधिकार होगा कि संबंधित न्यायालय अभियुक्ता द्वारा जमानत की स्वतंत्रता के दुरूपयोग के कारण उसके विरूद्ध विधिसम्मत आदेश पारित करे।

प्रभारी–सत्र न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर।